सं0 ई-11012/1/2019-हिन्दी/1188

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

हिन्दी अनुभाग

906(द), सेवा भवन,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-66
दिनांक: 13 सितम्बर, 2019

सेवा में,

मुख्य अभियंता
सभी क्षेत्रीय कार्यालय
के.ज.आयोग।

विषय : माननीय गृहमंत्री महोदय का संदेश।

महोदय,

माननीय गृहमंत्री महोदय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जारी संदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जा रही है कि कृपया इसे सभी क्षेत्रीय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के अवसर पर सभी को पढ़कर सुनाया जाए।

भवदीया,

13/9/19

(रजिन्दर पाल)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
बीपीएल: 3720

संलग्नक : संदेश की प्रति।

सत्यमेव जयते

अमित शाह
गृह मंत्री
भारत
AMIT SHAH
HOME MINISTER
INDIA

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं !

हमारा देश विविध भाषाओं, बोलियों एवं संस्कृतियों का देश है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सहित्य एवं दर्शन का गौरवपूर्ण इतिहास हिंदी भाषा में उपलब्ध है। हिंदी देश के सभी भाषा-भाषियों के मध्य भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी भाषा में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं तथा बोलियों के भाव जीवंत हैं। भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता और शासन के मध्य जन भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी एक उन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना बड़ा सरल है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी की इन विशेषताओं एवं सर्वाधिक लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया एवं संविधान में इस संबंध में समुचित प्रावधान किए गए।

अपनी भाषा में मौलिक लेखन और कामकाज से अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और सरल होती है, जो अनुवाद की भाषा से संभव नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को सरलतम रूप में अपनाकर राजकीय कामकाज में अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाए। मैं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने दैनिक और सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें ताकि कार्यालय के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिले।

उदारीकरण, भूमंडलीकरण और उपभोक्तावाद के इस युग में देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देते हुए आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि अभियांत्रिकी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी का और अधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली **कंठस्थ** का निर्माण किया है। स्मृति आधारित इस अनुवाद कार्य प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें अनुवादक पूर्व में की गई अनुवाद सामग्री का पुनः प्रयोग कर सकता है जिससे समय की काफी बचत होती है। राजभाषा विभाग द्वारा जन-साधारण के लिए **लीला हिंदी प्रवाह मोबाइल ऐप** तैयार किया गया है जिसके माध्यम से 14 विभिन्न भाषा-भाषी अपनी अपनी मातृभाषाओं में निःशुल्क हिंदी सीख सकते है।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है। संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी दृढ़ता और तत्परता के साथ करें, जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन करते हैं। हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आम आदमी सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठा सके।

आइए ! हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम यह प्रतिज्ञा लें कि हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी के माध्यम से स्वदेशी विज्ञान की समृद्ध परंपरा को जन-जन तक पहुंचाकर शिक्षित, शक्तिशाली एवं नए भारत का निर्माण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से हिंदी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु विश्व पटल पर ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण एवं समृद्ध भाषा के रूप में विश्व भाषा बनेगी।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं !

जय हिंद !

(अमित शाह)

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2019